

क्रमांक: प.08(01)/आर.एन.सी./जीबी फाईल/2026/8406-08

दिनांक: - 30/07/2026

कार्यालय आदेश

गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 21-10-2024 के एजेन्डा संख्या 02 (बिन्दु-02) में अन्य राज्यों से आरएनसी में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर पंजीयन शुल्क रसीद की वैधता अवधि जारी किये जाने के दिनांक से 180 दिन किये जाने बाबत लिये गये निर्णय तथा इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक आरएनसी/2024/जीबी/7187-92 दिनांक 22-11-2024 को गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 07-07-2026 के एजेन्डा संख्या 09 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से निरस्त/प्रत्याहरित किया जाता है। एतद् पश्चात अन्य राज्य के नर्सिंग अभ्यर्थियों के पंजीयन शुल्क की रसीद उनके पंजीयन होने तक प्रभावी रहेगी।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,

जयपुर

क्रमांक: प.08(01)/आर.एन.सी./जीबी फाईल/2026/8406-08

दिनांक: - 30/07/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन.स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. प्रोग्रामर (अनुबन्ध आधार पर), आरएनसी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर